

जायदाद विवरणः- जिला धनबाद अवर निबंधन कार्यालय धनबाद, सब निबंधन कार्यालय गोबिन्दपुर थाना चिरकुण्डा के अन्तर्गत मेढ़ा मौजा में कायेमी रैयति स्वत्व की जमीन मौजा नं0-251

नया खाता नं० - 18 (अठारह)

पुराना खाता नं० - 78

नया प्लोट नं॰ - 127 (एक सौ सत्ताईस) अंश

पुराना प्लोट नं० - 94 अंश

रकवा - 1.65 (डी०)

उपरोक्त एक नया खाता एंव एक नया प्लोटं में से कुल रकवा-1.65 डिसमिल (एक दशमलव छह पाँच) डिसमिल यानी 21 कट्ठा जमीन आज इस केवाला दस्तावेज द्वारा बिक्री किया। जो इस दस्तावेज के साथ नक्शा संलग्न करके विक्रीत स्थान को लाल रंग से रंगाकर दर्शाया गया है। जो मुख्य सड़क पर आवासीय योग्य जमीन है।

जिसका चौहददी:-

उत्तर (North) - श्याम बिहारी यादव,

दक्षिण (South)- एन. एच 2 अधिग्रहीत जमीन,

पुरव (East) तेज बिहारी यादव..

पश्चिम (West) नया प्लोट न॰ 126 का अंश,

उपरोक्त जमीन धनबाद निबंधन कार्यालय से निबंधित दिनांक 17/10/1986 साल का केवाला दस्तावेज संख्या 10314 के द्वारा बिक्रेता के नीज नाम पर केवाला खरीदा जमीन है, और खरीद कर निज दखल में भोग देखल करते हुए अंचल कार्यालय एग्यारकुंड दाखिल खारिज करवाकर ऑन लाईन पंजि के अनुसार भाग वर्तमान मोलुम संख्या-1 पृष्ठ संख्या 548 में सालाना मालगुजारी आदाय देते हुए उक्त जमीन को सम्पुर्ण निर्दाय वो निर्विबाद हालत में बिक्री किया। जिसका ऑन लाईन पंजी ।। में भोलुम संख्या- 1 पृष्ठ संख्या- 548 में बिक्रेता के नीज नाम से दर्ज है। दस्तावेज में अंकित भुमि सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं है तथा सरकारी गैर मजरूआ सरकार द्वारा बन्दोवस्त अहस्तान्तरणीय भुदान से प्राप्त वन भूमि आदिवासी खाता के अन्तर्गत अधवा अधिग्रहित भुमि की श्रेणी में नहीं आता है साथ ही दस्तावेज में अंकित बिक्रय भुमि की कथा से बिक्रेता एवं क्रेता दोनो संतुष्ट एवं सहमत है। बिक्रीत जमीन नगर निगम, नगर पालिका एवं अधिसुचीत क्षेत्र के अन्दर नहीं आता है।

चूंकि बिक्रय पत्र का विवरण यह है कि बिक्रेता को संसारिक खर्च के लिये रूपये की अति आवश्यकता आ जाने से उक्त विवरण में दिये गये जमीन का समयोचित सर्वोच्च कुल मूल्य- 1,56,000/- रूपये लेकर क्रेता को बिक्री कर सदा के लिये निःस्वत्व हुए एवं क्रेता को दखलकार किया तथा दखल दिया।

उपरोक्त जमीन पर बिक्रेता का जिस तरह का हक-अख्तीयार दावी दावा है आज तारिख से क्रेता का हुआ क्रेता उक्त जमीन पर मकान, आंगन, कुँया, बाग, बिगचा, आदि तैयार कर अपना ईच्छानुसार वंश परम्परा में परम सुख से भोग दखल करते हुए सर्व प्रकार का मालिक होकर दान, बिक्री आदि कर सकते है इससे बिक्रेता या बिक्रेता के वंशज को कभी किसी तरह का वजुर या एतराज नहीं होगा अगर करे तो कानुनन बातिल और नामंजुर होगा।

उपरोक्त जमीन की सालाना मालगुजारी झारखण्ड सरकार को बराबर अदा देकर क्रेता अपने नाम से दाखिल खारिज करवा कर सालाना मालगुजारी की रसीद हासिल करेगें. उपरोक्त जमीन बिक्रेता का खास दखल में है कभी किसी तरह का हस्तान्तरण आदि पाया जाय और उससे क्रेता या क्रेता के वंशज को क्षिति पहुँचे तो बिक्रेता या बिक्रेता के वंशज क्षितिपुरण का देनदार होगा या होगें।

अतः बिक्रेता अपना स्थिर बुद्धि एवं सरलता से बिचार कर मूल्य का कुल रूपये पाकर एवं समझ-बुझकर यह बिक्रय पत्र केवाला दस्तावेज लिख दिया कि समय पर काम आवे

इंति तारिख - 08/01/2025